25/8/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस अं०पत्र हेतु अवसर चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6.9.22 को पेश हो।

6.9.22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस अं०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.9.22 को पेश हो।

19/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–86 / 2021

CMS NO:- 2021/164

दायर दिनांक: 14.07.2021

पीठासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. सत्यनारायण आ0 कन्हैयालाल जाति काछी निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. पार्वती बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति काछी निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति काछी निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. हीराबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति काछी निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0).
5. ममता बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति काछी निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. आशापुरी माताजी महाराज स्थान करवर नाबालिग जर्येवली पुजारी राधेश्याम शर्मा आ0 गोपीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी अलीगढ जिला टोंक(राज0)
2. सुरेन्द्र आ0 गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
3. रामधन आ0 हरदेव जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
4. परसराम आ0 रामनारायण जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां।
5. शांतिलाल आ0 रामनारायण जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां।
6. रामावतार आ0 रामनारायण जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां।
7. नटी बाई पत्नी रामनारायण जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां।
8. प्रसन्न बाई पुत्री रामनारायण हाल पत्नी भज्जा धाकड निवासी सुवानियां तहसील नैनवां।
9. शान्ती पुत्री रामनारायण हाल पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी सुवानियां तहसील नैनवां
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामस्वरूप धाकड।

निर्णय दिनांक 19.09.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर में प्रार्थीगण के पिता के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 1239, 688 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3605 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर आने जाने का रास्ता करवर में माणी गांव जाने वाले रास्ते से अप्रार्थीगण के खाते की जमीन खसरा संख्या 1217 रकबा 20–11 बीघा की उत्तरी मेर पर होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में जाता है। प्रार्थीगण इस रास्ते में होकर अपने खेत की भूमि पर आते जाते है, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाते ले जाते है। यह कि प्रत्यार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि पर खाई खोदकर डोल लगाकर रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण का अपने खातेदारी की भूमि पर आना जाना मुश्किल हो गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि श्रीमान के न्यायालय को खातेदारान प्रार्थीगण को अपने खाते के खेत पर पहुंचने के लिए रास्ता दिलवाये जाने का अधिकार है। यह कि रास्ते के उपयोग में आने वाली भमि का प्रतिकर नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नक्शा परिशिष्ट"क", शपथ–पत्र, जमाबन्दी की नकल आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से [illegible] पेश किया गया। न्यायालय के निर्देशों की पालना में तहसीलदार नैनवां से रास्ता दिये [illegible] सम्बन्ध में रिपोर्ट क्रमांक 1413 दिनांक 17.06.22 प्राप्त की गई । मन्दिर आशापुरी माताजी की भूमि में वर्तमान में रिसीवर नियुक्त हुआ होने के कारण न्यायालय आदेशिका दिनांक [illegible].06.2022 से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां की अनुशंषा के बाद रास्ते के उपयोग में भूमि के बराबर हिस्से के बदले मन्दिर डोहली को भूमि दिये जाने बाबत [illegible] नवीन रास्ता रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नैनवां से नवीन रास्ता रिपोर्ट क्रमांक 148[illegible] दिनांक 27.06.2022 प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रकरण मन्दिर भूमि से सम्बन्धित होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देवस्थान विभाग से लिये जाने बाबत् रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 पर बहस सुनी जाकर आदेशिका दिनांक 27.06.2022 से प्रार्थना पत्र वास्ते खसरा संख्या 1240/1, 1240/2, 1240/3 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

में से होकर रास्ता दिये जाने तथा सम्बन्धित खातेदारान को पक्षकार बनाए जाने बाबत पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किया गया। तथा मन्दिर डोहली की में रास्ता नहीं दिया जाकर अन्य समीपवर्ती भूमियों से निकटतम रास्ता प्रस्तावित किये जाने बाबत रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया गया। आदेशिका दिनांक 27.06.2022 की पालना में नवीन पक्षकारान अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 को रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 की ओर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया जो संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उनके खातेदारी भूमि खसरा संख्या 688 जो ग्राम करवर मे प्रत्यार्थीगण की भूमि से करीबन 2 किमी0 दूरी पर है। उक्त भूमि तक रास्ता निकालने पर प्रत्यार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 की भूमि खसरा संख्या 1240 वगै0 से कोई जुडाव अथवा लगाव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया खारिज होने योग्य है। यह कि जो रास्ता मांगा गया है वह तथ्य एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि खसरा संख्या 1239 भूमि के पास खसरा संख्या 1218 भूमि सम्पर्क एवं तथ्य में है जो खसरा संख्या 1218 तक तो रास्ता पहले से ही रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त रास्ता जो खसरा संख्या 1217 के दक्षिण दिशा की मेर पर चलकर खसरा संख्या 1218 तक रिकार्ड में दर्ज है। इस कारण सुविधानुसार एवं जनहित के तौर पर खसरा संख्या 1239 तक जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 1217 एवं 1218 के मध्य की मेर से होकर निकाला जावे। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण की ओर से कोई संशोधित प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। प्रत्यार्थीगण 3 लगायत 9 को गुमराह कर परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पूर्णतया खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार साहब की नवीन रास्ता रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 के मुताबिक खसरा संख्या 1239 में पहुंचने हेतु प्रस्ताव खसरा नम्बर 1240/4 व 1240/3 में से तैयार किया गया जो निम्नानुसार है–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	लम्बाई(गट्ठा)	x चौडाई(गट्ठा)	क्षेत्रफल(वर्ग गट्ठा)
1240/4	59	2	118
1240/3	55	2	110

इस प्रकार कुल 228 वर्ग गट्ठा अर्थात् 10113.07 वर्गफिट अर्थात् 0.0939 हेक्टेयर भूमि रास्ते में उपयोग होगी। भू0अ0निरीक्षक करवर की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 के अनुसार खसरा संख्या 1239 पर आने जाने हेतु मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । बहस में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम करवर मे प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1239 रकबा 3.8994 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु निम्नानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है–

खसरा नं0	लम्बाई(गट्ठा)	x चौडाई(गट्ठा)	क्षेत्रफल(वर्ग गट्ठा)
1240/4	59	2	118
1240/3	55	2	110

इस प्रकार कुल 228 वर्ग गट्ठा अर्थात् 10113.07 वर्गफिट अर्थात् 0.0939 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–''अ'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के [illegible] नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner